न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/20

सौभाग पुत्र श्री प्रभू जाति नाई निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
——अपीलान्ट

बनाम

1. हरिराम पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. सोराज पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शोपाल पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. रामसहाय पुत्र लादू जाति बलाई निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. पप्पू पुत्र लादू जाति बलाई निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. कमलेश पुत्र लादू जाति बलाई निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. बृजमोहन पुत्र लादू जाति बलाई निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. जंगदीश पुत्र प्रभू जाति नाई निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. पप्पू पुत्र प्रभू जाति नाई निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. रामकिशन पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी ग्राम समिधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
12. शाखा प्रबन्धक महोदय आईसीआईसीआई बैंक शाखा देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
13. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 28.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जगदीशपुरा तहसील नैनवा के खाता संख्या 134 में खसरा नम्बर 172 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 185 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 80 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है । ग्राम जगदीशपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 30 में खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 7 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 9 व अन्य खातेदारान ने वर्षो पूर्व मौके पर विभाजन कर रखा है जिसके अनुसार प्रार्थी के हिस्से के खसरा नम्बर 186 की भूमि आयी है । खसरा नम्बर 184 अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 6 के हिस्से में आयी हुई है लेकिन खसरा नम्बर 184 पर अप्रार्थी क्रम 10 काबिज है । भूमि खसरा नम्बर 186 में आने–जाने का एकमात्र रास्ता जो ग्राम समिधी से मानपुरा जाने वाले पक्के डामर रोड से फटकर भूमि खसरा नम्बर 182 में होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 184 तथा भूमि खसरा नम्बर 185 के पश्चिमी मेड पर होता हुआ खसरा नम्बर 186 में पहुंचता है । उक्त रास्ता 30 फीट चौडा रास्ता था जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही आता–जाता रहा है व अपने पूर्वजों के समय से ही इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । उक्त रास्त को प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है । परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 में वर्णित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गई इस कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी में हंकाई–जुताई के लिए जाने लगे तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि इस रास्ते से जाने नहीं देगे । प्रार्थी के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 व परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा किया जावे रास्ते को 30 फीट चौडा किया जावे तथा उक्त रास्ते का समस्त राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के उक्त रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2020 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम जगदीशपुरा तहसील नैनवा की खाता संख्या 134 के अनुसार खसरा नम्बर 172 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर 183 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 185 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा कुल 06 किता की रकबा 80 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि तथा खाता संख्या 30 में खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 182 रकबा 10

बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्ग बारानी मृतीय में 02 गठ्ठा चौडी व 10 गठ्ठा लम्बी अर्थात् 01 बिस्वाभूमि, खसरा नम्बर 184 रकबा 13 बिघा 05 बिस्वा किसम बारानी तृतीय में 02 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात् 03 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 185 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय में 02 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात् 03 बिस्वा भूमि नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 08 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करना था और दस्तावेज प्रस्तुत करने थे । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान की तलबी में चल रही थी किन्तु कोराना महामारी के कारण न्यायालय बन्द होने एवं आवागमन बन्द होने के कारण लॉक डाउन में पेशी चलती रही और पत्रावली को बहस में नियत करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है । कोरोना महामारी के कारण न्यायालय बन्द थे तथा आम जनता का आवागमन भी बन्द था तथा वकील साहब ने भी पेशी पर आने से मना कर रखा था । इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पायी थी । दिनांक 27.112.2021 को अपीलान्ट के द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय के बारे में बताया गया जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 27.12.2021 को ही नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसकी दिनांक 05.01.2022 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था । जिसे परीक्षण न्यायालय ने दर्ज करते हुए नोटिस जारी किये थे । अपीलान्ट को जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 19 फरवरी, 2020 को अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं पत्रावली वास्ते जवाब एवं शेष पक्षकारान की तलबी में नियत रही । इसके पश्चात् आगामी तारीख पेशी दिनांक 26 फरवरी, 2020 को भी वास्ते तलबी शेष पक्षकारान एवं जवाब हेतु आगामी पेशी दिनांक 01.04.2020 नियत की गई । उक्त पेशी के बाद से ही कोरोना महामारी के कारण न्यायालय में उपस्थिति बन्द हो गई तथा सामान्य आवागमन बन्द हो गया उसके दिनांक 19.10.

2020 को पत्रावली बिना जवाब के व बिन तहसील की रिपोर्ट प्राप्त किये पत्रावली बहस में नियत कर दी और दिनांक 28.10.2020 को अपीलान्ट की स्वयं की एवं अधिवक्ता की अनुपस्थिति में तथा अपीलान्ट की बहस सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट आने पर ही आपत्ति व दस्तावेज प्रस्तुत किया जाकर पूर्व के रास्ते की स्थिति का अवलोकन कर दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करना था जबकि इस तरह के प्रार्थना पत्र में जब तक पूर्व में आने–जाने का रास्ता मौजूद हो या कोई वैकल्पिक रास्ता हो या सबसे नजदीक सुलभ रास्ता हो, इन सब तथ्यों का निर्धारण भली–भांति किया जाना आवश्यक है । उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट कम 01 के लिए पूर्व से ही पक्का रास्ता सुलभ रहा है जो मैन रोड से लिंक है जिससे होकर रेस्पोडेन्ट कम 01 हमेशा से ही आता–जाता रहा है । अपीलाधीन आदेश के तहत जिस भूमि पर से रास्ता दिया गाय है वह अपीलान्ट के खातेदारी की आराजी है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपील काफी विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं हैं । अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर उक्त अपील विलम्ब से पेश की है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट सोभाग को प्रोपर नोटिस तामील हुए हैं। परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.10.2020 के अनुसार बहस उभयपक्षकारान सुनी गई । इस प्रकार अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय ने उपस्थित है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सम्पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से पेश की है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर आने–जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्ग बारानी मृतीय में 02 गठ्ठा चौडी व 10 गठ्ठा लम्बी अर्थात् 01 बिस्वाभूमि, खसरा नम्बर 184 रकबा 13 बिघा 05 बिस्वा किसम बारानी तृतीय में 02 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात् 03 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 185 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय में 02 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात् 03 बिस्वा भूमि नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणागुण के आधार पर खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अपीलान्ट ने दौराने बहस मियाद अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कोराना काल के संदर्भ में दिये आदेशों का हवाला दिया । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अपने कब्जे काश्त की आराजी पर आने–जाने हेतु रास्ता प्रदान कर उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु दिनांक 17.02.2020 को लिखा । तहसीलदार ने दिनांक 10.08.2020 को प्रेषित पत्र में अंकित किया कि "संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार निम्न है–" उक्त पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है जिसे परीक्षण न्यायालय को अपने पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया है, जबकि मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे ऊपर के अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने का प्रावधान है । इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी नियम 69 की पालना नहीं की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कहीं स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 के कब्जे काश्त की आराजी पर आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग है अथवा नहीं ? इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा